Panchayati Raj

unicef
for every child

कोविड–19

आपदा प्रबंधन पर पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह और जमीनी कर्मचारियों के ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु ‘‘मार्गदर्शिका’’

समर्थन

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

कोविड–19 आपदा प्रबंधन पर पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह और जमीनी कर्मचारियों के ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु ‘‘मार्गदर्शिका’’

संदेश

कोविड–19 की आपदा से निपटने के लिये पूरा देश लगातार प्रयास कर रहा है। मध्यप्रदेश में कोविड–19 की रोकथाम हेतु सतत निगरानी एवं रणनीति बनाकर आवष्यक कदम उठाए जा रहे हैं। तालाबंदी के दौरान प्रदेशवासियों को किसी प्रकार की परेषानी न हो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संकट की इस स्थिति में प्रवासियों, गरीब और बेसहारा परिवारों को रोजगार, राशन और आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु अनेक राहत उपाय किये गये हैं। किसान भाईयों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये कानून में संशोधन तथा उचित व्यवस्था कर गेहूं खरीदी का रिकार्ड बनाया गया है। मैं उन सभी कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त करता हूं जो अपना घर परिवार छोड़कर रात–दिन लोगों को सेवा देने का काम कर रहे हैं।

कोविड–19 का खतरा अभी टला नहीं है, संभवत: यह लम्बे समय तक रहने वाला है। हमें इस महामारी से बचाव करते हुए अपनी जीवनशैली में बदलाव कर रोजमर्रा की जिंदगी को सामान्य बनाना होगा। ग्रामीण अंचलों में ग्राम पंचायत ही जनता के सबसे करीब स्थापित स्थानीय सरकार है। अत: पंचायत प्रतिनिधियों को इस कठिन परिस्थिति में और अधिक सक्रियता से काम करना होगा। नये संदर्भों में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाना भी आवश्यक है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा यूनीसेफके सहयोग से पंचायत प्रतिनिधियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि सभी पंचायत प्रतिनिधि, समितियों के सदस्य, स्थानीय कर्मचारी एवं स्वयं सहायता समूहों के सक्रिय सदस्य, सक्रियता से प्रषिक्षण में भागीदार हों।

शुभकामनाओं के साथ

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेष

संदेश

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड–19 की आपदा प्रबंधन हेतु समय–समय पर शासन द्वारा दिशा निर्देष जारी किये गये हैं। पंचायतों में लौट रहे प्रवासियों का रिकार्ड रखने, स्वास्थ्य की जांच कराने तथा उन्हें होम क्वारेंटाइन या सामुदायिक क्वारेंटाइन सेन्टरों में ठहराने की व्यवस्था में पंचायतों की भूमिका के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी कर मार्गदर्शन दिया गया है।

जैसा, हम सब जानते हैं कि कोविड–19 लम्बे समय तक हमारे बीच रहने वाला है। अत: ग्रामीण समुदाय की जीवन शैली में बदलाव लाने के लिये पंचायतों को स्वयं को तैयार करना होगा। इस संबंध में सभी पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु ऑनलाइन प्रषिक्षण के आयोजन की रणनीति बनायी गई है। प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा युनीसेफ एवं समर्थन के सहयोग से प्रशिक्षण सामग्री एवं संबंधित व्यवस्थाओं की तैयारी की गई है। मुझे विश्वास है कि यह प्रशिक्षण पंचायत प्रतिनिधियों को कोविड–19 की आपदा प्रबंधन हेतु सशक्त बनाएगा तथा ग्रामीण जनता की जीवन शैली को सामान्य बनाने तथा सेवाओं की पुन: शुरूआत करने में मार्गदर्शी साबित होगा।

शुभकामनाओं के साथ

मनोज श्रीवास्तव
अपर मुख्य सचिव
पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश, शासन

संदेश

संदेश

चीन के वुहान शहर से शुरू होने वाले कोविड–19 महामारी के संक्रमण ने धीरे–धीरे दुनिया के तमाम देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। जिसकी वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे ''वैश्विक महामारी'' घोषित करना पड़ा। यह एक वायरस जनित रोग है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ्य व्यक्ति तक पहुंचता है। अन्य देशों की तरह भारत भी इस महामारी की चुनौतियों का सामना कर रहा है।

कोविड–19 महामारी की इस लड़ाई में युनीसेफ भी सरकार के साथ हर संभव सहयोग एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये कटिबद्ध है। युनीसेफ द्वारा सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से महामारी के बचाव एवं रोकथाम हेतु समुदाय को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी को कोविड–19 महामारी से निपटने में सक्षम बनाने के लिये पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पंचायतें अपनी इस भूमिका को बेहतर ढंग से निभा पायें इसके लिये उनकी क्षमतावृद्धि आवश्यक है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड–19 आपदा के प्रबंधन हेतु पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की योजना बनाने एवं युनीसेफ को इसमें भागीदार किये जाने हेतु, मैं मध्यप्रदेश शासन को धन्यवाद् प्रेषित करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रशिक्षण कोविड–19 के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिस्थितियों के निर्माण में मददगार होगा।

शुभकामनाओं के साथ

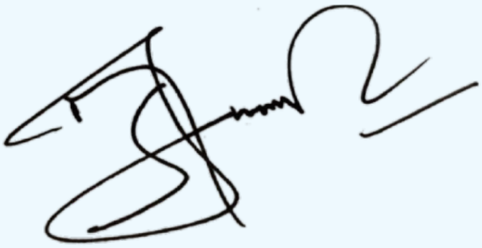

16/06/2020

माइकल जूमा

प्रमुख, युनीसेफ इंडिया (म.प्र.)

अनुक्रमणिका

सत्र-1	कोविड - 19 को रोकने में ग्राम पंचायत स्तर पे प्रक्रिया एवं प्रयास	11
सत्र-2	कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के उपाय	13
सत्र-3	संगरोध (क्वारेंटाइन) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया	17
सत्र-4	सामाजिक सुरक्षा के लिये पंचायतों की जिम्मेदारी	22
सत्र-5	सार्वजनिक सेवाओं की बहाली	26
सत्र-6	आपदा प्रबंधन जीपीडीपी एवं अन्न कोष	28
सत्र-7	समेकन, प्लानिंग एवं रिपोर्टिंग	31
	संदर्भ संलग्नक	38

सत्र–1

कोविड – 19 को रोकने में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रक्रिया एवं प्रयास

पंचायतों को निम्न कार्यों के लिये अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारी निभानी होगी –

जागरूकता एवं जानकारी

- पंचायत के पदाधिकारियों को बीमारी से बचाव एवं रोकथाम की सही एवं पूर्ण जानकारी रखनी होगी, ताकि लोगों को सही जानकारी दी जा सके।
- मदद हेतु जारी किये गये स्वास्थ्य सेवाओं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों तथा जनपद एवं जिले के नोडल के दूरभाश रखना।
- उचित माध्यमों का प्रयोग कर लोगों तक बीमारी से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाना एवं पालन कराना।
- शासन के आदेशों–निर्देशों की जानकारी लोगों के बीच प्रसारित करना।

आवश्यक पाबंदी लगाना

- सामाजिक धार्मिक आयोजनों जिनमें भीड़ जमा होती है नियंत्रण करना।
- गांवों में जगह–जगह चौपालों पर लोगों के जमा होने पर रोक लगाना।

सामुदायिक सेवाओं के उपयोग हेतु की जाने वाली व्यवस्था

- सार्वजनिक स्थानों एवं सेवा स्थलों पर एक–एक मीटर से अधिक की दूरी पर सामाजिक दूरी की व्यवस्था बनाना एवं इसका पालन कराना।
- सार्वजनिक सेवा स्थलों पर सेनिटाईजर अथवा साबुन पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- उपयोग से पहले हेण्डपम्प के हेंडिल को साबुन पानी से धोए जाने का पालन कराना।

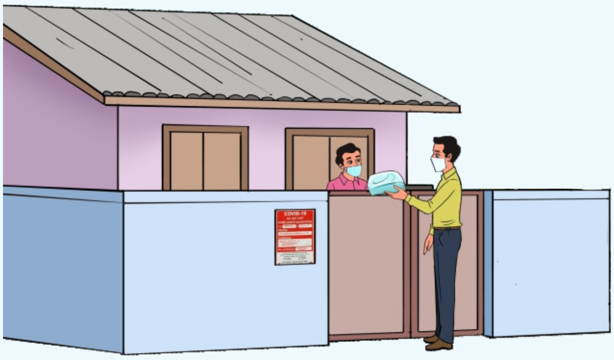

अन्य राज्यों से लौटकर आए लोगों की व्यवस्था

- लौटने वाले सभी नागरिकों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज कर उनके स्वास्थ्य की जांच कराना।
- प्रवासियों को घर संगरोध करना या पंचायत स्तर पर बनाये गये संगरोध केन्द्र में ठहराना।
- क्वारेंटाइन सेन्टर पर रखे गए लोगों के खान-पान, साबुन, पानी और रहने की पूर्ण व्यवस्था करना।
- सर्दी, सूखी खांसी, तेज बुखार के लक्षण वाले व्यक्ति का तत्काल इलाज सुनिश्चित करना।
- महिला प्रवासियों के लिये क्वारेंटाइन सेन्टर पर अलग कमरे एवं शौचालय, सेनेटरी पैड की व्यवस्था करना।
- क्वारेंटाइन सेन्टर और आसपास के परिसर की नियमित सफाई।

आवष्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाना

- आवष्यक वस्तुएं जैसे, राशन, दाल, तेल, मसाले, दवा आदि की उपलब्धता बनी रहे, इसकी लगातार निगरानी करना और व्यवस्था बनाना।
- गांव के भूमिहीन, अति गरीब, महिला मुखिया परिवार, विकलांग परिवारों की सूची तैयार कर उचित मूल्य की दुकान या अन्न कोष की स्थापना कर राशन की व्यवस्था बनाना।
- स्थानीय आवष्यकता व परिस्थिति के अनुसार खेती किसानी के कार्यों में किसानों को आवश्यक सहयोग की जिम्मेदारी निभाना।

राहत योजनाओं का लाभ दिलाना

- हर व्यक्ति की पात्रतानुसार योजनाओं और राहत उपायों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- लाभ से वंचित परिवारों को लाभ दिलाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करना।
- बैंक क्योस्कों के माध्यम से लोगों की बैंक खाते से पैसे निकालने की व्यवस्था बनाना

सत्र–2

कोविड–19 से बचाव एवं रोकथाम के उपाय

कोविड–19 से बचाव हेतु पंचायतों को हर व्यक्ति से निम्न सुरक्षा उपायों का पालन कराना होगा

1. शारीरिक दूरी

- हर व्यक्ति कम से कम 3 फिट की दूरी बनाए रखने का पालन करे तथा किसी से हाथ मिलाने या गले लगने से बचे।

2. हाथों को बार–बार धोना

- साबुन,पानी से 20 सेकेंड तक हाथों को बार–बार धोते रहे।
- सार्वजनिक जगह पर थूकने से बचे तथा अपनी नाक, मुंह और आंख को अनावश्यक छूने से बचे।
- सार्वजनिक स्थानों और गरीब परिवारों के लिये पंचायत निधि से नि:शुल्क साबुन, पानी की व्यवस्था की जा सकती है।

3. मास्क का उपयोग

- घर से बाहर जाने वाला हर व्यक्ति अपने नाक व मुंह को मास्क, गमछे या किसी साफ़ कपड़े से ढंककर रखे।
- पंचायतें स्थानीय स्वयं सहायता समूह अथवा जिन महिलाओं के पास सिलाई मशीन है, उन्हें मास्क बनाने की जिम्मेदारी दे सकती हैं, इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा तथा स्थानीय लोगों को कम कीमत में मास्क उपलब्ध हो सकते हैं।

4. खानपान

- लोगों को पौष्टिक आहार का सेवन एवं गर्म पानी पीने के लिये प्रेरित किया जाये।

5. चिकित्सकीय परामर्ष

- बुखार, सूखी खांसी अथवा श्वास लेने में परेशानी वाले व्यक्तियों को तुरंत चिकित्सकीय परामर्श हेतु भेजा जाये।

6. जन जागरूकता

- बीमारी से बचाव हेतु विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता फैलाने का कार्य जारी रहे।

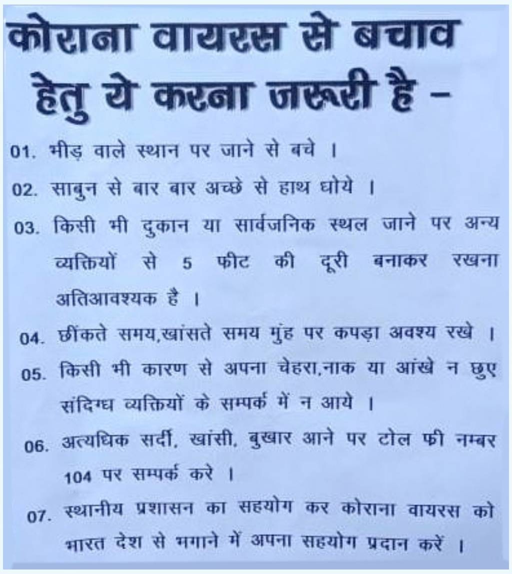

कोराना वायरस से बचाव हेतु ये करना जरूरी है –

01. भीड़ वाले स्थान पर जाने से बचे ।
02. साबुन से बार बार अच्छे से हाथ धोये ।
03. किसी भी दुकान या सार्वजनिक स्थल जाने पर अन्य व्यक्तियों से 5 फीट की दूरी बनाकर रखना अतिआवश्यक है ।
04. छींकते समय,खांसते समय मुंह पर कपड़ा अवश्य रखे ।
05. किसी भी कारण से अपना चेहरा,नाक या आंखे न छुए संदिग्ध व्यक्तियों के सम्पर्क में न आये ।
06. अत्यधिक सर्दी, खांसी, बुखार आने पर टोल फ्री नम्बर 104 पर सम्पर्क करे ।
07. स्थानीय प्रशासन का सहयोग कर कोराना वायरस को भारत देश से भगाने में अपना सहयोग प्रदान करें ।

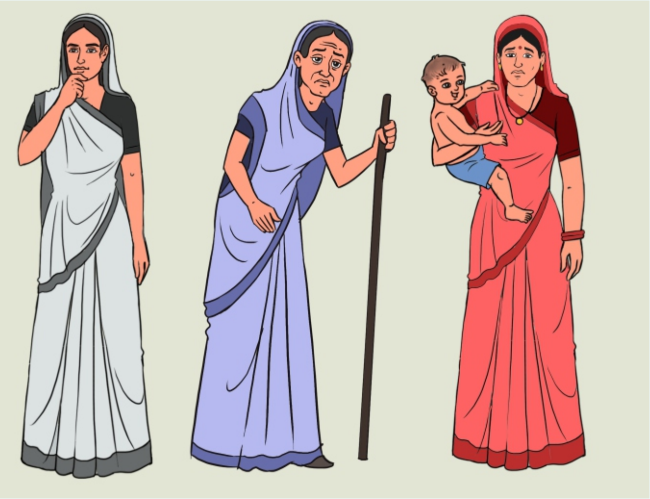

विषेष ध्यान रखने वाला समूह

निम्न श्रेणी के व्यक्तियों/परिवारों पर विषेष ध्यान देने एवं सहयोग की आवश्यकता होगी –

1. किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति
2. अकेले रहने वाले वृद्धजन
3. दिव्यांग जन
4. दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी श्रमिक परिवार
5. अजा/अजजा परिवार
6. महिला मुखिया परिवार और गर्भवती महिलाएं
7. कुपोषित/अति कुपोषित बच्चे

अन्य ध्यान देने वाली बातें

- सामूहिक/सामुदायिक सभा का आयोजन पर पूरी तरह पाबंदी।
- सार्वजनिक स्थानों एवं सेवा स्थलों की नियमित सफाई तथा साबुन, पानी की उपलब्धता।
- बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग को महामारी का सामना करने हेतु सहयोग।
- राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गरीब परिवारों को सहायता।
- कृषि कार्य एवं पंचायत के कार्यों में मजदूरों के बीच शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना।

कोविड–19 की रोकथाम हेतु गठित समिति की भूमिका एवं दायित्व

- समिति के हर सदस्य को बीमारी के रोकथाम की सही एवं पूर्ण जानकारी हो ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
- स्वास्थ्य सेवाओं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, हेतु जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबर तथा जनपद एवं जिले के नोडल अधिकारियों के संपर्क नंबर उपलब्ध हों।
- बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की रजिस्टर में पूर्ण जानकारी दर्ज कर स्वास्थ्य जांच सुनिष्चित करें।
- शासकीय आदेश, निर्देश व राहत घोषणाओं की जानकारी रखें तथा लोगों के बीच प्रसारित करें।
- हेंडपम्पों के पास साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उपयोग से पहले हेंडिल आदि को साबुन से धोये जाने का पालन कराना।

सार्वजनिक सेवा स्थलों पर लोगों के बीच शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिये 3–3 फिट से अधिक की दूरी पर चूने या राख से गोल घेरे बनाने का प्रयोग भी किया जा सकता है।

सत्र–3

संगरोध (क्वारेंटाइन) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

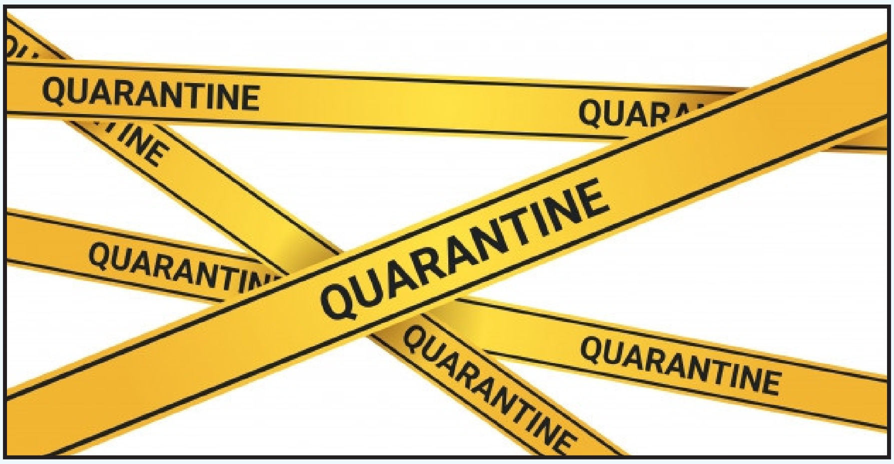

बाहर से आए लोगों को, कोविड–19 के संक्रमण की आशंका के मद्देनजर संगरोध किया जाना आवश्यक है। ऐसे लोगों को घर या सामुदायिक केन्द्र पर संगरोध में रखा जा सकता है।

घर संगरोध

कोविड–19 के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिये, संक्रमण की संभावना वाले व्यक्तियों को ही घरों में अलग रखना, घर संगरोध है।

किन्हें घर संगरोध में रहना होगा ?

- ऐसे व्यक्ति जो संक्रमण वाले शहर या प्रदेश से वापिस आए हैं।
- ऐसे व्यक्ति जो कोविड–19 के संक्रमण की पुष्टि वाले व्यक्ति के संपर्क में आए हैं।
- बिना सुरक्षा संसाधनों के किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति।

कितने दिनों तक घर संगरोध में रहना होगा ?

संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद बीमारी के लक्षण दिखायी देने में 14 दिन का समय लग सकता है। अत: संदिग्ध व्यक्ति को 14 दिन घर संगरोध में रहना होगा।

घर संगरोध किये गए व्यक्तियों को क्या सावधानियां रखना चाहिये ?

- एक हवादार एवं शौचालय युक्त कमरे के अंदर रहे।
- कमरे में अकेले ही रहे, अन्य सदस्य के साथ रहने पर 1 मीटर से अधिक दूरी बनाकर रखे।
- बुजुर्ग, गर्भवती महिला, बच्चे तथा घर में कोई बीमार हो तो उनसे दूर रहे।
- कमरे के बाहर आवाजाही न करे।
- सामाजिक/धार्मिक आयोजनों जैसे –शादी, शोक सभा आदि में शामिल न हो।
- हाथों को बार–बार साबुन, पानी से 20 सेकण्ड तक धोते रहे।
- बर्तन, गिलास, कप, तौलिया, बिस्तर, कपड़े तथा अन्य घरेलु सामान किसी के साथ साझा न करे।
- अपने कमरे की साफ-सफाई स्वयं करे।
- मुंह एवं नाक को कवर करने के लिये मास्क/गमछा या किसी अन्य साफकपड़े का उपयोग करे।
- खांसी, बुखार, श्वांस लेने में परेशानी होने पर तुरन्त चिकित्सक से परामर्ष ले।

परिवार के सदस्यों किस प्रकार की सावधानियां रखना चाहिये ?

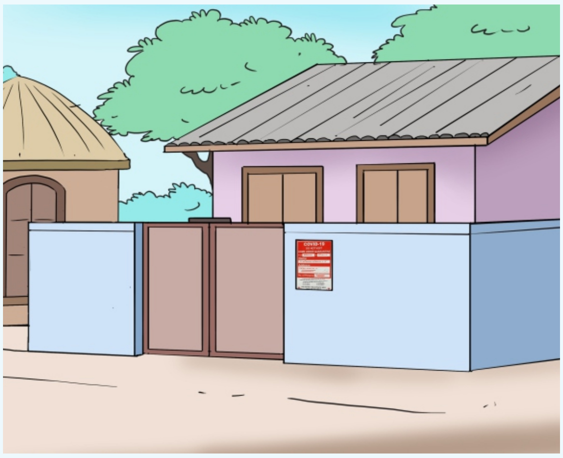

- परिवार के किसी एक सदस्यों को ऐसे व्यक्ति की देखभाल का काम सौंपा जाना चाहिए।
- व्यक्ति के गंदे कपड़े तथा त्वचा के सीधे संपर्क में आने से बचें।
- कमरे की सफाई तथा गंदे कपड़े की संभाल करते समय डिस्पोजेबल दस्तानों का प्रयोग करें।
- दस्तानों को हटाने के बाद हाथों को साबुन, पानी से अच्छी तरह धोएं।
- जान–पहचान, रिष्तेदारों को मिलने की अनुमति न दें।

पर्यावरण स्वच्छता

- कमरे की को प्रतिदिन उचित कीटाणुनाषक का उपयोग कर कीटाणुरहित करना चाहिए।
- ब्लीचिंग या फिनाइल से प्रतिदिन शौचालय को कीटाणुरहित करना चाहिए।

सामुदायिक संगरोध केन्द्र

संगरोध केन्द्र की आवश्यकता क्यों ?

- संक्रमण की आशंका वाले ऐसे व्यक्ति जिनके घरों में संगरोध में रहने के लिये अलग कमरा, शौचालय नहीं है, उन्हें संगरोध में रखने के लिये सामुदायिक संगरोध की आवश्यकता है।
- ऐसे लोगों को सामुदायिक संगरोध में नहीं रखने पर बड़ी आपदा हो सकती है।

संगरोध केन्द्र कहां बनाये जा सकते हैं ?

ऐसे स्थान जहां एकांतवास की समुचित व्यवस्था हो, जैसे –

- सामुदायिक भवन
- पंचायत भवन
- बंद पड़े अस्पताल
- छात्रावास
- स्कूल भवन
- प्रशिक्षण केन्द्र
- खाली पड़े मकान
- धर्मशाला

संगरोध केन्द्र पर जरूरी अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति एवं उनके कर्तव्य

स्वास्थ्य कर्मी
आषा कार्यकर्ता/एएनएम

- स्वास्थ्य की निगरानी, तापमान रिकार्डिंग
- लक्षण वाले मरीजों का परीक्षण एवं रेफरल

सफाईकर्मी

- भवन, शौचालय, बाथरूम, कमरों की सफाई
- साफ बिस्तर और कपड़े उपलब्ध कराना

प्रशासनिक स्टाफ
(पंचायत सचिव)

- केन्द्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना
- प्रतिदिन की रिपोर्टिंग करना

स्वयं सेवक

- समय पर भोजन की आपूर्ति करना
- आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था

पुलिस
(स्थिति अनुसार)

- अनुशासन बनाए रखना
- सुरक्षा उपलब्ध कराना

संगरोध केन्द्र पर आवश्यक अधोसंरचना और सुविधाएं

- ठहराए गए लोगों की संख्या अनुसार एक दूसरे के बिस्तरों के बीच कम से कम 6 फिट की दूरी बनाए रखने हेतु पर्याप्त स्थान
- भवन में हवा के आवागमन और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था
- कपड़े धोने एवं सुखाने की उचित व्यवस्था
- सोने के लिये बिस्तर
- मनोरंजन और संचार सुविधा (यदि संभव हो)
- पानी और बिजली/पंखे की व्यवस्था
- कचरा, भोजन की झूठन आदि के निपटान की उचित व्यवस्था
- समय- समय पर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा
- संतुलित भोजन व्यवस्था
- महिला/पुरूषों के लिये अलग-अलग कमरा एवं शौचालय की व्यवस्था
- महिलाओं की सुरक्षा के उचित इंतजाम

संगरोध केन्द्र पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता

- ट्रिपल लेयर मास्क, दस्ताने
- डिस्पोजेबल गिलास एवं कप
- अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर, साबुन
- ब्लीचिंग पाउडर/ सोडियम हाइपो क्लोराइट, कीटाणुनाशक
- कचरा संग्रहण हेतु ढक्कन वाली डस्टबिन
- बाल्टी एवं मग/तौलिया
- सेनेटरी पैड

केन्द्रों पर पदस्थ कर्मचारी/अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली सावधानियां

केन्द्र में ठहरे व्यक्तियों को सेवाएं देते समय एक दूसरे के बीच 3 फिट की दूरी बनाए रखें (स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़कर)

- ट्रिपल लेयर मास्क पहनें
- दस्ताने पहनें
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता बिना किसी लापरवाही के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देशित सभी सुरक्षा नियमों और सावधानियों का पालन सुनिश्चित करें।

संगरोध की अवधि

चिकित्सकों की राय एवं शोध से पता चलता है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद स्वास्थ्य व्यक्ति में बीमारी के लक्षण दिखायी देने में 14 दिन तक का समय लग सकता है। इसलिये संक्रमण की आशंका वाले व्यक्तियों को संगरोध केन्द्र में रखने की अवधि 14 दिन तय की गई है।

संगरोध केन्द्र में ठहरे लोगों को निम्न अनुमति न दें

अनुमति नहीं

01 बाहर जाने के लिये

02 एक दूसरे के करीब रहने के लिये

03 आगंतुकों से मिलने की

04 गंदगी करने की

05 खाने पीने की चीजें साक्षा करने की

सत्र–4

सामाजिक सुरक्षा के लिये पंचायतों की जिम्मेदारी

पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ दिलाना तथा सभी को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना पंचायतों के कार्यों का हिस्सा है। कोविड–19 की आपदा के कारण यह जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना – राहत पैकेज

कोविड–19 की आपदा के चलते गरीब, बेसहारा, मजदूर, छोटे किसानों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के माध्यम से मदद पहुंचायी जा रही है। जो इस प्रकार हैं –

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की प्रमुख बातें

क्र.	योजना	राशि/लाभ
1	बीपीएल राशन कार्डधारक (80 करोड़)	प्रति परिवार 5 किलो गेहूं या चावल व 1 किलो दाल अतिक्ति एवं मुफ्त
2	पीएम किसान सम्मान निधि में पंजीकृत किसान	अप्रेल माह में वित्तीय वर्ष 2020–21 की पहली किष्त (2000/–) का भुगतान
3	जनधन खाताधारक (महिला)	500/– प्रतिमाह, तीन माह तक
4	विधवा, विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिक	1000/– रूपये अगले तीन माह के लिये
5	उज्जवला योजना लाभार्थी	3 माह तक फ्री गैस सिलेण्डर
6	स्वयं सहायता समूहों	जमानत मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई
7	निर्माण मजदूर	राज्य सरकारों को 'भवन और निर्माण श्रमिक कोष' से निर्माण श्रमिकों को राहत पहुंचाने हेतु आदेष
8	मनरेगा में मजदूरी दर	मजदूरी में प्रतिदिन 20/– की वृद्धि की गई जो 1 अप्रेल से प्रभावी मानी जाएगी
9	कोरोना योद्धा (डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, पैरा मेडीकल स्टाफ आषा, एएनएम आदि)	50 लाख का बीमा कवर
10	ईपीएफ	ऐसे संस्थान या कम्पनी जहां 100 से कम कर्मचारी तथा – 90 प्रतिषत कर्मचारियों का मासिक वेतन 15000 रूपये से कम हो तो नियोक्ता तथा कर्मचारी द्वारा जमा की जाने वाली भविष्य निधि की राषि अगने तीन माह तक सरकार द्वारा जमा करायी जाएगी

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:

आर्थिक रूप से पिछड़े, दलित कमजोर लोगों की सहायता के लिये विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं का लाभ दिलाने में पंचायतों की भूमिका अहम है।

प्रमुख योजनाएं

1. विधवा, वृद्ध, विकलांगों को पेंशन
2. बीपीएल कार्डधारी परिवारों को रियायती दर पर राशन
3. स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिये छात्रवृत्ति
4. मनरेगा योजना के तहत प्रति परिवार साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी
5. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन
6. आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण आहार का वितरण

योजनाओं का लाभ दिलाने में पंचायतों की भूमिका

- पात्रतानुसार सभी परिवारों/हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त होना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक पात्र परिवार/हितग्राही तक सरकार द्वारा की गई राहत घोषणाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।
- लाभ से वंचित परिवारों/हितग्राहियों का पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन करायें।
- पंचायत के सभी नागरिकों का समग्र पोर्टल पर पंजीयन सुनिष्चित करें, क्योंकि योजनाओं के लाभ के लिये यह जरूरी है।
- योजनाओं के लाभार्थियों की सूची पंचायत में संधारित करें तथा किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करायें।
- योजनाओं के सभी लाभार्थियों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक करायें तथा मोबाइल नं दर्ज करायें।

- लाभार्थियों के खातों में योजना की राषि आयी है या नहीं इसकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु तंत्र विकसित करें।
- अकुशल श्रम हेतु इच्छुक परिवारों के जॉबकार्ड बनाना और रोजगार उपलब्ध कराना।
- मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों का समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना।
- मनरेगा योजना में छोटे किसानों की जमीन पर स्थायी परिसंपत्ति निर्माण के कार्यों को महत्व देना।
- राषन दुकान, पोषण आहार वितरण की समय-समय पर निगरानी करना तथा महामारी से बचाव हेतु उचित प्रबंध करना।
- कोविड-19 से बचाव को ध्यान में रखते हुए पंचायतों में बैंक क्योस्क के माध्यम से लोगों को राशि निकालने में सहयोग करें।

युवाओं को योजनाओं के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रषिक्षित कर उन्हें लोगों को सहयोग करने हेतु प्रेरित करें।

लिंग आधारित हिंसा से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा

- पंचायतों में सामाजिक न्याय की स्थापना करना, पंचायतों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पंचायतों को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को जीपीडीपी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना होगा। महिला एवं बच्चों की सुरक्षा के नजरिये से पंचायत में निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये -
- घर, गांव एवं सामुदायिक संगरोध केन्द्रों पर महिलाओं की सुरक्षा के विषेष इंतजाम होना चाहिये।
- संगरोध केन्द्रों पर महिलाओं के लिये अलग कमरा एवं शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिये।
- संगरोध केन्द्रों पर महिलाओं को सेनेटरी पैड उपलब्ध कराए जायें तथा कपड़े आदि को सुखाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये।

- जिस कमरे में महिलाओं को रूकाया जाए उसमें दरवाजे को अंदर से बंद करने की व्यवस्था होनी चाहिये।
- यदि सामुदायिक संगरोध केन्द्र पर रूकने वाले में छोटे बच्चे भी हैं तो उन्हें दूध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना चाहिये।
- छोटे बच्चों को हमेषा अपने परिवार के सदस्यों की निगरानी में रखा जाये ताकि उनके साथ किसी प्रकार की यौन हिंसा की आशंका को खत्म किया जा सके।
- बच्चों की सुरक्षा का ध्यान न सिर्फ सामुदायिक संगरोध केन्द्र पर बल्कि घरों में रखना होगा।
- लगातार तालाबंदी से घर के अंदर बंद रहने के कारण बच्चों को स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आना स्वाभाविक है, इससे उबारने के लिये पालकों को बच्चों के साथ समय बिताना चाहिये।
- तालाबंदी में महिला हिंसा की षिकायतें भी बढ़ी हैं, महिला पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी वाली एक समिति गठित कर, समिति को महिला हिंसा एवं बाल सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जा सकती हैं।
- महिलाओं एवं पुरूषों को घरेलू हिंसा कानून की जानकारी दी जानी चाहिये।
- महिला हिंसा से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये।
- पंचायतें लिंग आधारित हिंसा एवं महिला हिंसा एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों जीपीडीपी में शामिल किया जाना चाहिये।
- पंचायतों द्वारा महिला हिंसा एवं बाल सुरक्षा से संबंधित षिकायतों को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिये।

सत्र–5

सार्वजनिक सेवाओं की बहाली

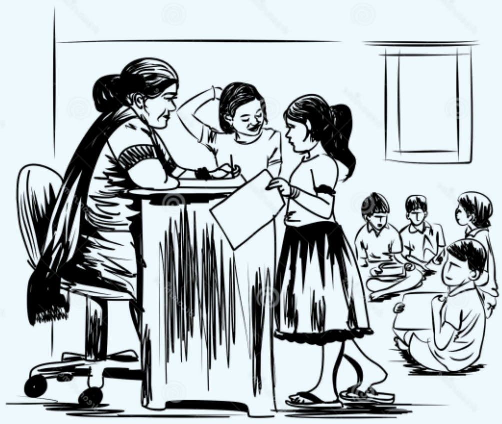

कोविड–19 की आपदा के कारण की गई तालाबंदी की बजह से स्कूल, आंगनवाड़ी जैसी सार्वजनिक सेवाएं बंद पड़ी हैं। लेकिन आने वाले समय में इन सेवाओं को पुन: शुरू करने की आवष्यकता होगी। होगा। प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं को शुरू करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना होगा –

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर

- शारीरिक दूरी के साथ बच्चों की बैठक व्यवस्था
- बच्चों को भोजन कराने एवं पानी की व्यवस्था में शारीरिक दूरी का पालन हो तथा सेनेटाइजर अथवा साबुन पानी से हाथ धोने की व्यवस्था सुनिश्चित हो
- पोषण आहार वितरण में शारीरिक दूरी का पालन, मोहल्ला वार दिन तय किये जा सकते हैं
- बच्चों के मन में कोविड–19 को लेकर किसी प्रकार का भय न हो
- शौचालय की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाये
- थर्मो स्केनर मशीन से प्रतिदिन बच्चों का टेम्परेचर मापा जाये

स्कूलों में

- शारीरिक दूरी के साथ बच्चों की बैठक व्यवस्था, यदि पर्याप्त कमरे की व्यवस्था न हो तो दो पाली में स्कूल लगाने की व्यवस्था की जाये
- बच्चों को भोजन कराने, पानी पीने एवं बर्तन धोने के दौरान शारीरिक दूरी का पालन हो तथा सेनेटाइजर अथवा साबुन पानी से हाथ धोने की व्यवस्था सुनिष्चित हो

- यदि बच्चों के मन में कोविड–19 से जुड़ी कुछ भ्रांतियां है तो शिक्षक सही जानकारी देकर दूर करें
- यदि किसी बच्चे को बुखार, सूखी खांसी या सर्दी हो तो उसे छुट्टी देकर घर जाने के लिये कहें
- शौचालय की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाये
- संभव हो तो थर्मो स्केनर मशीन से प्रतिदिन बच्चों का टेम्परेचर मापा जाये

रसोई घर में

- खाना बनाने वाले समूह की महिलाओं द्वारा शारीरिक दूरी का पालन किया जाये
- मुंह को ढंकने के लिये मास्क/गमछे अथवा साफकपड़े का प्रयोग किया जाये
- रसोई में प्रवेष से पहले हाथों को सेनेटाइज करें या साबुन पानी से धोएं
- रसोई के अंदर नियमित सफाई रखी जाए और तैयार भोजन को ढंककर रखा जाये
- सब्जियों को नमक के पानी से धोने के बाद ही इस्तेमाल किया जाये

- बच्चों को बासे भोजन का वितरण नहीं किया जाये
- बुखार, सर्दी अथवा खांसी की शिकायत वाले सदस्य को भोजन बनाने के कार्य में न लगाया जाये

उचित मूल्य की दुकान एवं स्वास्थ्य सेवा पर

- शारीरिक दूरी सुनिश्चित करानी होगी,
- साबुन पानी की उपलब्धता करना होगा
- उचित मूल्य की दुकान पर भीड़ कम करने के लिये वार्डवार या मोहल्ले वार दिन तय किया जा सकते हैं

ग्रामीणों की जिम्मेदारी है कि घर के बीमार सदस्यों को राशन लेने न भेजें

सत्र–6

आपदा प्रबंधन जीपीडीपी एवं अन्न कोष

ग्राम विकास योजना का पंचायतें निर्माण कर रही हैं। कोविड–क– की परिस्थितियों से निपटने के लिये जीपीडीपी को आपदा प्रबंधन के नजरिये से बनाना आवश्यक है।

आपदा प्रबंधन जीपीडीपी निर्माण के प्रमुख चरण

- संभावित समस्याओं की पहचान करना और सूची तैयार करना
- समस्यावार प्रभावित परिवारों की सूची तैयार करना
- समस्याओं का प्राथमिकीकरण करना
- समस्याओं के संभावित विकल्पों पर विचार कर उचित विकल्प का चयन करना
- समस्याओं के समाधान हेतु गतिविधियां तय करना – बजट और शून्य बजट, दोनों
- गतिविधियों के लिये बजट बनाना
- ग्राम सभा में आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन कराना
- गतिविधियों को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना

कार्य जिनका आपदा प्रबंधन जीपीडीपी निर्माण के दौरान ध्यान देना होगा

- पंचायत के सभी लोगों तक कोविड–19 से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाना
- अति गरीब परिवार एवं बेसहारा लोगों के भोजन की व्यवस्था
- सामुदायिक संगरोध केन्द्र का संचालन
- मजदूरी पर आश्रित परिवारों के रोजगार की व्यवस्था

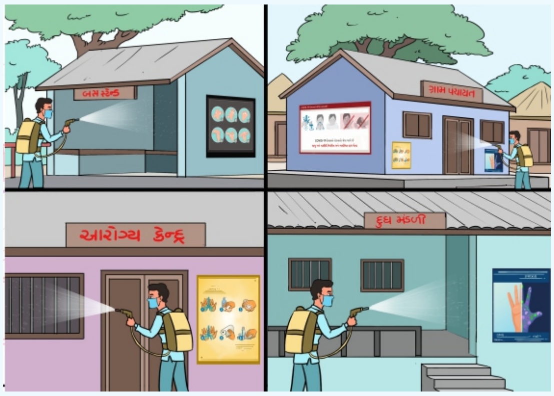

- सामुदायिक शौचालयों, सार्वजनिक सेवा स्थलों एवं ग्राम के मार्गों की सफाई व्यवस्था
- सभी परिवारों तक पेयजल एवं अन्य जरूरत के लिये पानी की उपलब्धता
- सामान्य बीमारी या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के उपचार की व्यवस्था
- गर्भवती महिलाओं और षिषुओं की उचित देखभाल एवं उपचार की व्यवस्था
- बेसहारा या अकेले रहने वाले वृद्धजनों को आवश्यक सहयोग की व्यवस्था
- आपदा प्रबंधन हेतु किये जा रहे कार्यों की निगरानी की व्यवस्था

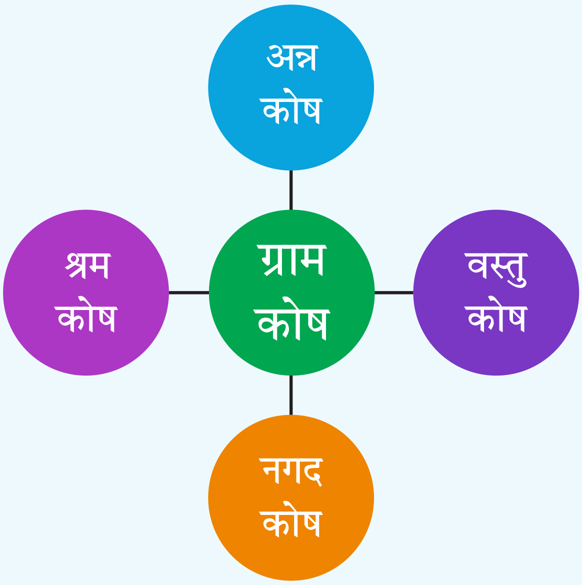

अन्न कोष की स्थापना एवं संचालन

मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, की धारा 7ञ(1) में प्रत्येक ग्रामसभा द्वारा एक निधि स्थापित करने की बात कही गयी है, जो निम्न 4 भागों से मिलकर ग्राम कोष कहलायेगा। इस कोष को स्थापित करने का उद्देश्य संकट के समय जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाना है।

1. अन्न कोष
2. श्रम कोष
3. वस्तु कोष
4. नगद कोष

कैसे करें अन्न कोष की स्थापना

हमारे देश में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक कार्यों में दान देने की संस्कृति और परंपरा रही है। अन्न कोष की स्थापना के लिये भी हम लोगों को उनकी क्षमता अनुसार दान देने के लिये प्रेरित कर सकते हैं।

अन्न कोष में दान स्वरूप क्या-क्या लिया जा सकता है

- क्षेत्र में पैदा होने वाले अनाज, जैसे - गेहूं, चावल, मक्का, दालें, आदि
- क्षेत्र में पैदा होने वाली सब्जियां, जैसे - आलू, प्याज, टमाटर, भटा, आदि
- नगद राषि - राशि से भंडारण कोठी, तराजू या अनाज खरीदा जा सकता है।

अनाज कोष से किन्हें मदद की जा सकती है

- ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है
- अनाथ, बेसहारा, विकलांग, दिहाड़ी मजदूर आदि
- प्रवासी श्रमिक परिवार
- अति गरीब परिवारों को पंचायत/समिति के निर्णय अनुसार मुफ्त राशन दिया जा सकता है।

अन्न कोष से मदद का प्रकार

अन्न कोष से जरूरतमंद परिवारों को निम्न 3 प्रकार से मदद पहुंचायी जा सकती है,

- मुफ्त सहायता
- रियायती दर पर
- दी गई मदद की अनाज या पैसे के रूप में वापसी

अन्न कोष का प्रबंधन

अन्न कोष के प्रबंधन हेतु किसी सक्रिय स्वयं सहायता समूह अथवा एक समिति गठित कर जिम्मेदारी दी जा सकती है। निम्न जिम्मेदारियों का निर्वाहन करते हुए अन्न कोष का संचालन किया जायेगा –

1. किन-किन परिवारों को मदद दी जाएगी, किन परिवारों को मुफ्त, किन परिवारों को रियायती दर पर और किन परिवारों से दिये गया अनाज वापिस लिया जाएगा, इस संबंध में नियम बनाना।
2. दान के रूप में प्राप्त अनाज व नगद राशि तथा वितरण का हिसाब रखना।
3. भंडारित अनाज का रखरखाव और सुरक्षा करना।
4. समिति/समूह की नियमित बैठक करना और हिसाब-किताब को सार्वजनिक करना

अन्न कोष में जमा अनाज का भंडारण

1. लकड़ी या पत्थर की कोठियां
2. बोरियां /टिन के बक्से
3. स्थानीय स्तर पर प्रचलित अन्य कोई सुरक्षित तरीका

अनाज भंडारण कहां करें

1. पंचायत भवन/सामुदायिक भवन/स्कूल भवन
2. स्व सहायता समूह/समिति सदस्य का घर

सत्र–7

समेकन, प्लानिंग एवं रिपोर्टिंग

चुनिंदा संकेतकों पर कोविड –19 से सुरक्षा के संबंध में पंचायत की तैयारी का आकलन करने हेतु नीचे एक चैक लिस्ट दी गई है, पंचायतें इसे भरकर जनपद पंचायत/जिला पंचायत में प्रस्तुत करेंगी अथवा ऑनलाइन पोर्टल पर इसे अपलोड करेंगी ।

कोविड 19 से सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायत की तैयारी – चेकलिस्ट

जिला पंचायतः .... जनपदपंचायतः ....

ग्राम पंचायतः ....दिनांकः ....

ग्राम प्रधान नाम एवं संपर्क नंबरः ....

ग्राम सचिव नाम एवं संपर्क नंबरः ....

क्र	सुरक्षा हेतु उठाये गये कदम	प्रगति		टिप्पणियाँ
		हाँ	नहीं	
I.	COVID-19 महामारी के नियंत्रण के लिए निवारक उपाय			
1	क्या COVID-19 महामारी के लिए आपदा प्रबंधन समिति[1] है?			
2	क्या ग्राम पंचायत की कोविद-19 से बचाव में स्वयं सहायता / अन्य समूहों की भागीदारी है?			
3	क्या समिति के सदस्यों को बीमारी से बचाव के संबंध में निम्न जानकारियां है?			
3.1	नाक और मुंह पर मास्क का प्रयोग			
3.2	शारीरिक दूरी कम से कम एक से दो मीटर			
3.3	नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन व पानी से धोना			
3.4	होम क्वारंटाइन में रखी जाने वाली सावधानियाँ			
3.5	सार्वजनिक स्थानों की नियमित साफ-सफाई/ कीटाणु रहित करने के सम्बन्ध में			
3.6	स्थानीय हेल्पलाइन नंबर और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104			
3.7	सरकारी एम्बुलेंस सेवा			

1 या कोई अन्य समिति जिसको COVID-19 महामारी को संभालने की जिम्मेदारी दी गई हो?

क्र	सुरक्षा हेतु उठाये गये कदम	प्रगति		टिप्पणियाँ
		हाँ	नहीं	
4	COVID-19 के प्रसारण / प्रसार			
5	क्या लोगो द्वारा साबुन से हाथ धोने का अभ्यास हो रहा है?			
6	क्या लोगो द्वारा शारीरिक दूरी के नियमो का पालन हो रहा है?			
7	क्या लोगों को दीवार लेखन, ऑडियो/ वीडियो, इत्यादि के माध्यम से जानकारी दी गई ?			
8	क्या ग्राम पंचायतसमिति को कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में प्रशिक्षण मिला ?			
9	क्या सार्वजनिक स्थानों की सूची तैयार कि? जैसे बाजार , PDS इत्यादि			
10	क्या सार्वजनिक समारोहों को नियंत्रित करने उपाय किये गये?			
11	क्या गांव में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक[2] दवाइयाँ उपलब्ध हैं?			
II.	सामुदायिक स्तर पर एकजुटता और बीमारी से जुड़े किसी कलंक को संबोधित करना			
12	क्या समिति में समाज के सभी वर्गों (अल्पसंख्यक सहित) का प्रतिनिधित्व है?			
13	क्या कोविद-19 रोग ग्रस्त व्यक्ति को समिति एवंपारिवारिक का समर्थन प्राप्त है?			
14	क्या समिति ने बीमारी से जुड़े कलंक को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया?			
III.	COVID-19 महामारी से संबंधित निगरानी गतिविधियों में सहायता			
15	क्या समिति द्वारा गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों व गर्भवती महिलाओं की जानकारी एकत्र की गई ?			
15.1	यदि हां, तो कितनी महिलाएं / बुजुर्ग - नंबर			
16	क्या उचित मूल्य की दुकान से राशन वितरण व्यवस्था की निगरानी की जा रही है?			
16.1	यदि हाँ, तो अब तक कितने परिवार - नंबर			
IV.	संगरोध / अलगाव का समर्थन करना			
17	क्या ग्राम पंचायत में कोई प्रवासी वापस आये हैं तथा इनकी जानकारी रजिस्टर में दर्ज की गई है ?			
17.1	यदि हाँ, तो कितने प्रवासी लौटे हैं? - नंबर			
18	क्या लौटकर आये सभी प्रवासियों की मेडीकल जांच कराई गई है?			
18.1	यदि हाँ, तो कितने प्रवासि - नंबर			
19	क्या समिति ने संगरोध में रह रहे व्यक्ति/ परिवार के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण के लिए प्रावधान किया है?			
20	क्या ग्राम स्तरीय संगरोध सुविधा के लिए कोई व्यवस्था की गई है?			
20.1	यदि हाँ, तो कितने? - नंबर			

2 सर्दी, सामान्य बुखार, उच्च रक्तचाप, मधुमेह इत्यादि

क्र	सुरक्षा हेतु उठाये गये कदम	प्रगति		टिप्पणियाँ
		हाँ	नहीं	
21	क्या ग्राम स्तरीय संगरोध सुविधा में बिजली और पानी की व्यवस्था, शौचालय, लगातार हाथ धोने के लिए साबुन/ सैनिटाइजर की उपलब्धता, भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था, निस्संक्रामक की सुविधा सुनिश्चित की है?			
21.1	क्या महिलाओं के लिये विशेष व्यवस्थाए की गई है, जैसे की अलग कमरा, शौचालय एवं सैनिटरी पैड?			
V.	**जरूरतमंद परिवारों की पहचान और सामाजिक सुरक्षा / सहायता**			
22	ग्राम पंचायत द्वारा जरूरतमंद परिवारों को अति आवश्यक सामग्री दी गई?			
22.1	यदि हाँ, तो कितने परिवार - नंबर			
23	क्या सभी हितग्राहियों को समय पर पेंशन मिल रही है			
23.1	यदि हाँ, तो कितने लाभार्थि - नंबर			
24	राशन कार्ड एवं पात्रता पर्ची से वंचित परिवारों को भी राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ?			
24.1	यदि हाँ, तो कितने परिवार - नंबर			
25	जरूरतमंद परिवारों/ प्रवासियों को मनरेगा में रोजगार?			
25.1	यदि हाँ, तो कितने परिवार/ और प्रवासी मजदूर - नंबर			
26	क्या मनरेगा रोजगारमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई?			
26.1	यदि हाँ, तो इससे कितनी महिलाएं - नंबर			
27	क्या मनरेगा कार्य स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं[3] है?			
28	श्रम सिद्धि अभियान के लिए कितने लोगों को शामिल किया गया? - नंबर			
29	क्या सभी पात्र किसानों का पीएम किसान सम्मान निधिमें पंजीयन कराया ? - नंबर			
30	क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों से बच्चों एवं महिलाओं को पोषण आहार दिया जा रहा है ?			
VI.	**ग्राम स्तर पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करें**			
31	क्या ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस नियमित रूप से संचालित हो रहा है?			
32	क्या आशा / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के नियमित संपर्क में हैं?			
33	क्या आशा / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संचार और गैर-संचारी रोगों के सभी उच्च जोखिम वाले मामलों के नियमित संपर्क में हैं?			
34	क्या आपातकालीन स्थिति में रेफरल के लिए गाँव में परिवहन सुविधा उपलब्ध है?			

3 छाया, साफ पानी, प्राथमिक उपचार एवं झूला घर की व्यवस्था

क्र	सुरक्षा हेतु उठाये गये कदम	प्रगति		टिप्पणियाँ
		हाँ	नहीं	
35.1	यदि हां, तो कितने? - नंबर			
36	क्या गांव के अंदर आने वाले एवं बाहर जानेवालों पर रोक लगाई गई ?			
37	क्या सभी लोगों को कंटेनमेंट जोन में रखी जाने वाली सावधानियों की जानकारी है?			
38	अति आवश्यक कार्य से गांव के अंदर आने वाले एवं बाहर जाने वाले लोगों की जानकारी रखी गई है?			
39	क्या सभी सार्वजनिक (विवाह, मृत्यु इत्यादि)आयोजनों में अधिकतम संख्या नियमों का पालन हो रहा है ?			
VIII.	ग्राम पंचायत में स्वच्छता और साफ-सफाई सुनिश्चित करें			
40	क्या प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय / शैक्षणिक संस्थानों में पानी और साबुन से हाथ धोने की पर्याप्त सुविधा है?			
41	क्या गांव में नियमित रूप से धूमन कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो माहवार संख्या? - नंबर			
42	क्या ग्राम पंचायत ठोस कचरे के संग्रहण और निपटान की व्यवस्था है?			
43	क्या गाँव में नालियों की नियमित रूप से सफाई की जाती है?			
IX.	ग्राम पंचायत में आपदाओं का प्रबंधन			
44	आप का गांवमेंबाढ़, सूखा, आगजनी, उष्ण लहर/ लू, शीत लहर, बिजली (वज्रघात)) जैसी आपदाओं में किसी कीमृत्यु हुई है? यदिहां तो कितनी?			
45	क्या ग्राम पंचायत योजना में आपदा से निपटने के कार्यक्रम शामिल है? यदि हाँ तो कोनसे साल में किया है			
46	क्या आपके गाँव में जलवायु आपदा के कारण फसल खराब हुई है? हां तो कितनीबार?			

आपसी समन्वय हेतु सोशल मीडिया के प्रयोग पर उपयोगी सामग्री

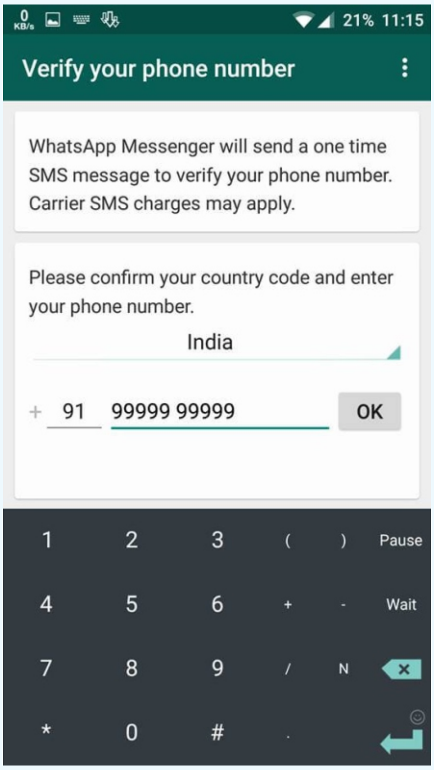

व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण

बंद या लॉकडाउन की स्थिति में भी कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के बीच आपसी समन्वय, चर्चा एवं सलाह की प्रक्रिया जारी रह सके इसके लिये व्हॉट्सएप ग्रुप सबसे अच्छा माध्यम है।

व्हाट्सएप ग्रुप के फायदे

- समिति सदस्यों के बीच शारीरिक दूरी बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- बीमारी की रोकथाम एवं बचाव की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा की जा सकेगी।
- हर मोहल्ले/वार्डों में जन जागरूकता फैलायी जा सकती है।
- सरकारी आदेशों, निर्देशों को एक दूसरे के साथ साझा किया जा सकता है।
- गंभीर मुद्दों पर एक दूसरे की सलाह एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
- अच्छे प्रयासों को एक दूसरे के साथ साझा किया जा सकता है।

व्हाट्सएप एकाउंट कैसे बनायें

- गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को डाउनलोड कर अपने मोबाइल में इंस्टाल करें।
- व्हाट्सएप आईकोन को क्लिक करने पर मोबाइल पर जो पेज खुलेगा उसमें AGREE AND CONTINUE पर क्लिक करें।
- अगला पेज खुलेगा इसमें Country Name में India का चयन कर अपना मोबाइल नम्बर दर्ज करें और Next पर क्लिक करने पर जो पेज खुलेगा उसमें आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर सही है या नहीं पूछा जाएगा, यदि गलत हो तो उसे ठीक कर OK विकल्प पर क्लिक करें।

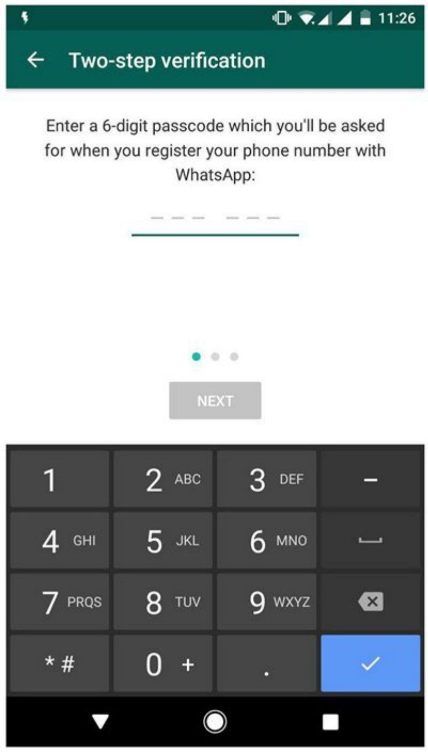

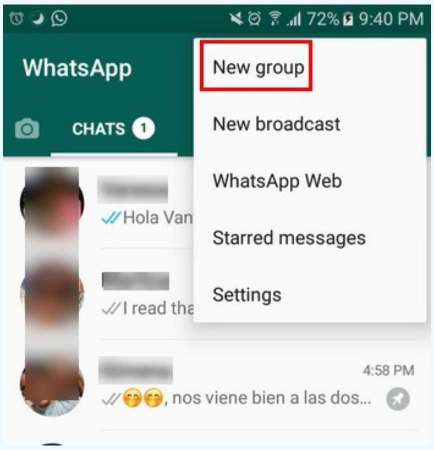

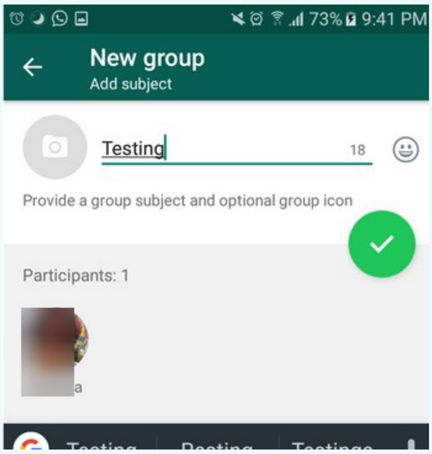

- अगले पेज में OTP दर्ज करें, जो कि आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से प्राप्त होगा। आपके द्वारा दर्ज OTP का सत्यापन होने के बाद स्वत: अगला पेज खुल जाएगा, जिसमें आपका नाम दर्ज करें तथा अपने मोबाइल में सेव फोटो भी लगा सकते हैं। इसके बाद Next विकल्प का चयन करते ही आपका एकाउंट ओपन हो जाएगा।

व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनायें

- अपने मोबाइल में व्हाट्सएप्प को ओपन करें। व्हाट्सएप पेज में ऊपर दांयें कार्नर पर दिखायी दे रही 3 बिंदियों पर क्लिक करें। क्लिक करने पर जो विकल्प दिखाई देंगे इनमें से New Group का चयन करें।
- न्यू ग्रुप का चयन करते ही आपके मोबाइल में सेव व्हाट्सएप नंबर प्रदर्शित हो जाएंगे, जिन लोगों को आप ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं उनके नंबरों का चयन कर OK बटन पर क्लिक करें। यहां यह जानना आवष्यक है कि आप ग्रुप में उन्हीं लोगों को शामिल कर सकते हैं, जिनके नंबर आपके मोबाइल में सेव हैं। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं जिसका नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नंबर मोबाइल में सेवा करना पड़ेगा।
- अब जो पेज खुलेगा उसमें ग्रुप का नाम दर्ज करने का विकल्प दिखायी देगा। आप ग्रुप को जो भी नाम देना चाहते हैं यहां दर्ज कर सकते हैं। ग्रुप के नाम के साथ आप गांव का नाम भी जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो ग्रुप का प्रोफाइल फोटो भी लगा सकते हैं। इसके बाद दिखाई दे रहे ✓ निषान पर क्लिक करें।
- ग्रुप एडमिन बनाने के लिये व्हाट्स ग्रुप एकाउंट को ओपन करें। पेज के ऊपर दांयी ओर कार्नर में दिखाई दे रही तीन बिंदियों पर क्लिक करें। जो विकल्प दिखायी देंगे उनमें से Group Info पर क्लिक करें। अब जो विकलप दिखाई देंगे उनमें से Gropu Settings पर क्लिक करें। अगले विकल्पों में से Edit Gropu Admins पर क्लिक करने पर ग्रुप से जुड़े सभी लोगों के नाम एवं नंबर प्रदर्षित हो जायेंगे, इनमें से जिनको भी ग्रुप का एडमिन बनाना चाहते हैं चयन कर ✓ निषान पर क्लिक करें।
- ग्रुप में जिनको एडमिन बनाया जाता है वे ग्रुप में जुड़े किसी भी सदस्य को हटा सकते हैं या नए सदस्यों को जोड़ सकते हैं।

व्हाट्सएप ग्रुप पर

क्या करें

- ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे के सतत संपर्क में रहें।
- केवल सत्य एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त होने वाली जानकारियों को ही ग्रुप में साझा करें।
- शासकीय, आदेशों, निर्देशों से अपडेट रहें और ग्रुप में साझा करते रहें।
- एक सदस्य को प्रतिदिन के कार्य की संक्षिप्त रिपोर्ट ग्रुप में साझा करने की जिम्मेदारी दें।
- रिपोर्ट को जनपद एवं जिला स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुपों में भी साझा करें
- समस्याओं और चुनौतियों पर एक दूसरे का सहयोग एवं मार्गदर्शन करते रहें।
- नवाचार और अच्छे प्रयासों को साझा करें।

क्या न करें

- किसी भी संदेश की सत्यता जॉचे बिना ग्रुप में साझा न करें।
- गैर जरूरी संदेशों को ग्रुप में साझा करने से बचें।
- एक गतिविधि के अधिकतम दो से अधिक फोटो ग्रुप में न डालें।
- किसी व्यक्ति विशेष या समाज की भावना एवं सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले संदेशों को ग्रुप में साझा न करें।

प्रशिक्षण की रूपरेखा एवं प्रक्रिया

समयावधि	प्रशिक्षण – विषय	सत्र संचालन हेतु प्रमुख बिंदु एवं प्रक्रिया	मुख्य संदेष/जानकारी	आवश्यक सामग्री
20 मिनिट	**सत्र–1: कोविड–19 के प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका** • प्रषिक्षण पूर्व तैयारी (5 मिनिट) • प्रषिक्षण के उद्देष्यों को साझा करना (5 मिनिट) • कोविड–19 के प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका (10 मिनिट)	• प्रषिक्षण प्लेटफार्म पर प्रतिभागियों को जानकारी: क्या करें–क्या न करें • प्रषिक्षण के उद्देष्यों पर साझा समझ बनाना 1. कोविड–19 की रोकथाम में ग्राम पंचायत की भूमिका को साझा करें। 2. आपदा की इस स्थिति में सेवाओं और सुविधाओं के प्रबंधन के तरीके सुझाएं। • उपरोक्त विषयों पर केवल संक्षिप्त जानकारी दें, आगे के सत्रों में इन विषयों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। • कोविड–19 के प्रबंधन में पंचायतों के महत्व पर प्रकाष डालने के लिये प्रतिभागियों से नीचे दिये गए प्रष्न पूछें – • यदि कोविड–19 की रोकथाम नहीं की गई तो पंचायत और जिले में क्या स्थिति बन सकती है? निम्न परिस्थितियों पर चर्चा कर सकते हैं – 1. लोग संक्रमण से बीमार हो सकते हैं। 2. बच्चे, बुजुर्ग और पहले से रोगग्रस्त व्यक्तियों की मौंत भी हो सकती है। 3. ग्राम पंचायत और जिले में महामारी फैल सकती है, जिससे आर्थिक, सामाजिक एवं भावनात्मक क्षति हो सकती है। • प्रतिभागियों से पूछें कि क्या वे प्रषिक्षण से जुड़ गए हैं और मेरी आवाज ठीक से सुन/समझ पा रहे हैं ? • यदि किसी प्रतिभागी को जुड़ने, माइक/वीडियो को बंद/चालू करने जैसी कोई समस्या हो तो तकनीकी पर्सन को बोलकर ठीक कराएं।	• प्लेटफार्म के उपयोग की तकनीकी जानकारी – माइक को बंद/चालू कैसे करें, सवाल कैसे पूछें, जानकारी को रिकार्ड कैसे करें, संदर्भ सामग्री की उपलब्धता • मध्यप्रदेष शासन/ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग (आदेष दिनांक -/ब/खछ) के निर्देषों अनुसार ग्राम पंचायत की भूमिका के बारे में बतायें – 1. शारीरिक दूरी, 2. क्वारेंटाइन प्रबंधन, 3. राहत उपाय, 4. सेवाओं, रोजगार के प्रावधान – मनरेगा, जल एवं स्वच्छता, उचित मूल्य की दुकान, स्वास्थ्य आदि **(विषय वस्तु के लिये मार्गदर्षिका के सत्र–व का अध्ययन करें)**	1. ग्राम पंचायत की भूमिका पर पीपीटी

समयावधि	प्रशिक्षण – विषय	सत्र संचालन हेतु प्रमुख बिंदु एवं प्रक्रिया	मुख्य संदेष/जानकारी	आवश्यक सामग्री
20 मिनिट	**सत्र – 2 : कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम हेतु उपाय** जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन	नीचे दिये सवाल पूछते हुए प्रतिभागियों को विषय से परिचित करायें – शारीरिक दूरी के महत्व को बतायें,–फेटो दिखायें – हमें लोगों से हाथ मिलाने या गले लगाने से क्यों बचना चाहिये ? हेंडवाषिंग का महत्व बतायें – वीडियो दिखायें प्रष्न पूछें – क्या हम अपनी पंचायत में ऐसा कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो इस तरह के व्यवहार को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है ?	शारीरिक दूरी, हाथ धोना और मास्क पहनने पर जानकारी साझा करें **(विषय वस्तु के लिये मार्गदर्षिका के सत्र–2 का अध्ययन करें)**	1. कोविड–क– की रोकथाम के उपाय पर पीपीटी, वाइस ओवर के साथ 2. शारीरिक दूरी के 2 फेटो 3. हेंडवाष वीडियो:हाथ धुले–चेहरे खिले
20 मिनिट	**सत्र – 3 : संगरोध (क्वारेंटाइन) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** घर और सामुदायिक संगरोध केन्द्र पर	इस सत्र में प्रतिभागियों को नीचे दिये गए प्रष्नों के उत्तर दिये जाने है। प्रषिक्षक इन प्रष्नों को पूछते हुए इनसे जुड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं – 1. संक्रमण की संभावना के जोखिम के साथ लौटने वाले 2 प्रवासियों या अन्य लोगों के लिये संगरोध क्यों आवष्यक है ? 2. संगरोध के संचालन के लिये पंचायत क्या कर सकती है ? एक अच्छे संगरोध केन्द्र का वीडियो दिखाये 3. पुरूषों, महिलाओं और बच्चों के लिये संगरोध केन्द्रों पर कौन सी प्रमुख सुविधाएं होनी चाहिये ? 4. संगरोध केन्द्रों के संचालन के लिये वित्तीय व्यवस्था कहां से जुटायी जा सकती है ? 5. घरों में संगरोध किये गए लोगों की निगरानी के लिये ग्राम पंचायत/समिति को क्या करना चाहिये ? सुझाव/प्रष्नों के लिये खुला मंच (3–5 मिनिट – संक्षेप में)	• संगरोध केन्द्र संचालन की मानक प्रक्रिया के प्रमुख बिंदुओ पर पीपीटी (व्यवस्था, वित्त, गतिविधियां) • एक मॉडल संगरोध केन्द्र का वीडियो/पीपीटी • घरों में संगरोध के मामलों में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका **(विषय वस्तु के लिये मार्गदर्षिका के सत्र–3 का अध्ययन करें)**	4. मॉडल संगरोध केन्द्र के 2–3 फोटो 5. घर संगरोध के वीडियो: घर रहें, सुरक्षित रहें 6. संगरोध केन्द्रों के संचालन की मानक प्रक्रिया पर पीपीटी 7. संभावित वित्तीय स्त्रोतों पर पीपीटी

समयावधि	प्रशिक्षण – विषय	सत्र संचालन हेतु प्रमुख बिंदु एवं प्रक्रिया	मुख्य संदेष/जानकारी	आवश्यक सामग्री
20 मिनिट	**सत्र – 4: सामाजिक सुरक्षा के लिये पंचायतों की जिम्मेदारी** • राहत पैकेज एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं • लिंग आधारित हिंसा से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा	**अ. राहत पैकेज एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं** **निम्न सवाल पूछकर प्रतिभागियों को विषय से परिचित करायें** • क्या आपको जानकारी है कि सरकार ने गरीबों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और प्रवासियों के लिये विभिन्न राहत उपाय किये हैं ? • प्रतिभागियों को उचित मूल्य की दुकान से राषन, जनधन खाते में राषि आदि उपाय के बारे में बताकर याद दिलाया जा सकता है। • जिन राहत उपायों के बारे में प्रतिभागियों ने नहीं बताया हो उनके बारे में लाभ सहित संक्षिप्त जानकारी दें। अधिक जानकारी के लिये मार्गदर्षिका का अध्ययन करने के लिये कहें। • कारण पूछें की कई लोगों को इन राहत उपायों का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है ? यदि संभव हो तो प्रतिभागियों द्वारा बताए गए कारणों पर समाधान प्रदान करें। • समाधान के लिये समस्याओं को जनपद एवं जिला प्रषासन के साथ साझा करने के लिये प्रोत्साहित करें। इसके अलावा, संकट के इस समय में गरीबों की मदद करने के लिये अधिक उत्तरदायी बनने के लिये कहें।	केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रमुख योजनाओं और मिलने वाले लाभों को साझा करें (पीपीटी) **(विषय वस्तु के लिये मार्गदर्षिका के सत्र–७ का अध्ययन करें)**	1. राहत योजनाओं पर पीपीटी

समयावधि	प्रशिक्षण - विषय	सत्र संचालन हेतु प्रमुख बिंदु एवं प्रक्रिया	मुख्य संदेष/जानकारी	आवश्यक सामग्री
		ब. लिंग आधारित हिंसा से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा • लिंग आधारित हिंसा को रोकने और महिलाओं एवं बच्चों के सुरक्षा संबंधी मुद्दों को ग्राम पंचायत विकास योजना/मनरेगा योजना में शामिल करने हेतु ग्राम पंचायतों की सामाजिक न्याय की भूमिका स्थापित करना। • ग्राम पंचायतों/चुने हुए महिला प्रतिनिधियों और स्वयं सहायता समूहों के लीडरों को लिंग आधारित हिंसा को रोकने और जीपीडीपी निर्माण व मानीटरिंग में सक्रिय भूमिका निभाने के लिये प्रोत्साहित करना। सुझाव/प्रश्नों के लिये खुला मंच (3-5 मिनिट - संक्षेप में)		
20 मिनिट	**सत्र - 5 : सार्वजनिक सेवाओं की बहाली** आंगनवाड़ी, स्कूल, राषन दुकान आदि	सत्र का संदर्भ स्थापित करें - कोविड एक वर्ष से अधिक समय तक रहने वाला है। हमें आवष्यक सेवाओं को पुनः शुरू करने के लिये क्या करना चाहिये ? हमें इन सेवाओं को सामान्य बनाने के लिये क्या नया करना होगा ? सवाल करें - हमें स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र शुरू करने हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ? • हम स्कूलों और आंगनवाड़ियों में बच्चों को सुरक्षित रूप से भोजन कैसे उपलब्ध करा सकते हैं ? • रसोई एवं बच्चों को भोजन वितरण की शुरूआत करने हेतु महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत करायें। (पीपीटी/वीडियो) • मध्यान्ह भोजन व्यवस्था से बेसहारा वृद्धजनों/विकलांगों को भोजन के लिये कैसे मदद की जा सकती है सुझाव/प्रष्नों के लिये खुला मंच (3-5 मिनिट - संक्षेप में)	• सामुदायिक रसोई के प्रबंधन पर पीपीटी साझा करें। • बैठने, खाना खाने, बर्तन साफ करने के दौरान शारीरिक दूरी के बिंदुओं को साझा करें। **(विषय वस्तु के लिये मार्गदर्षिका के सत्र-5 का अध्ययन करें)**	1. रसोई एवं भोजन वितरण व्यवस्था पर पीपीटी /वीडियो

समयावधि	प्रशिक्षण – विषय	सत्र संचालन हेतु प्रमुख बिंदु एवं प्रक्रिया	मुख्य संदेष/जानकारी	आवश्यक सामग्री
20 मिनिट	**सत्र – 6 : आपदा प्रबंधन** **जीपीडीपी एवं आत्मनिर्भर पंचायत** जीपीडीपी में आपदा प्रबंधन एवं आत्मनिर्भर पंचायत की योजना निर्माण के कार्यों को बढ़ावा देना • आपदा प्रबंधन की योजना पर जीपीडीपी • अनाज बैंक और किचिन गार्डन	• आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा और इसे बनाने में ग्राम पंचायत की भूमिका साझा करें – ग्राम स्वराज • कोविड–19 से जुड़ी समस्याओं के समाधानों का समावेष करते हुए जीपीडीपी का निर्माण कैसे करें • अनाज बैंक की स्थापना क्यों जरूरी है ? (अनाज बैंक के सफल संचालन का उदाहरण साझा करें) • ग्राम पंचायत सिवनी, जिला कांकेर (छत्तीसगढ़) की कहानी साझा करें, जो सब्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिये पूरी तरह आत्मनिर्भर है। सुझाव/प्रष्नों के लिये खुला सत्र (3–5 मिनिट – संक्षेप में)	• जीपीडी निर्माण – आपदा प्रबंधन की प्राथमिकताओं को उजागर करें (पीपीटी) • अन्न कोष पर पंचायत राज अधिनियम के प्रावधान, स्थापना, प्रबंधन की जानकारी साझा करें (पीपीटी) • किचिन गार्डन और इसके लाभ के उदाहरण **(विषय वस्तु के लिये मार्गदर्षिका के सत्र–5 का अध्ययन करें)**	1. आपदा प्रबंधन जीपीडीपी के प्रमुख बिंदु –पीपीटी 2. अन्न कोष की स्थापना पर पीपीटी 3. सिवनी छत्तीसगढ़ किचिन गार्डन की कहानी
20 मिनिट	**सत्र – 7: समेकन, प्लानिंग एवं रिपोर्टिंग** खुला सत्र (10 मिनिट)	ग्राम पंचायत की कोविड–19 से निपटने की तैयारी के आकलन हेतु चैक लिस्ट साझा करें, जिसे भरकर जनपद पंचायत/जिला पंचायत या ऑनलाइन पोर्टल पर साझा करने के लिये कहें। यह एक खुला सत्र है, प्रतिभागियों से निम्न बिंदुओं पर अपना विचार साझा करने के लिये कहें – कौन सा सत्र सबसे अच्छा लगा ? (केवल 3–5 प्रतिभागी) उनके दिमाग में कौन सी चिंताएं हैं ? (केवल 3–5 प्रतिभागी) वे दी गई जानकारियों को कैसे उपयोग में लायेंगे ? (केवल 3–5 प्रतिभागी)	प्रशिक्षक प्रतिभागियों द्वारा दिये गए प्रमुख सुझावों को नोट करें और समय प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करें चुनिंदा संकेतकों पर पंचायत में कोविड–19 की तैयारी का आकलन करने के लिये चैक लिस्ट साझा करें	1. पंचायत में कोविड–19 की तैयारी के आकलन हेतु चैक लिस्ट

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप,
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास), भोपाल

Phone: 0755-2557727, Fax: 0755-2552899
E-mail: dirpanchayat@mp.gov.in